JALAUN POLICE

दिनांक – 30.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 56,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त रिषी कुमार पुत्र श्याम करन नि0 ग्राम न्यामतपुर थाना सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कृत्य किया गया था जिसके संबन्ध में थाना सिरसाकलार में दिनांक 16.02.20219 को मु0अ0सं0 12/2019 (वाद संख्या 30/19) धारा 376 डी/506/323/34 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 23.04.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.05.2025 को मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रिषी उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 56,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जुर्माने में से 30,000/- रुपये की राशि प्रतिकर स्वरुप पीडिता को प्रदान की जायेगी।